प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट

मध्य प्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

प्रश्न सं. 1 क्र. 2274

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल– 462004

—:::000:::—

परिशिष्ट-1

भोपाल,दिनांक 5-5-17

कमांक 662/2017/42–1:: डॉ0एस.के.जैन, कुल सचिव, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल के विरूद्व शासन में प्राप्त इओडब्ल्यू/लोकायुक्त तथा अन्य शिकायतो की जांच करने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:–

1. श्री संजीव कुमार, संचालक, कौशल विकास संचालनालय, जबलपुर।
2. प्रो. वीरेन्द्र कुमार, संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, भोपाल।
2. डॉ. एस.सी.चौबे, प्रोफेसर राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल।

उपरोक्त समिति के संयोजक उप सचिव,म0प्र0शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग होंगे। उक्त समिति शिकायतो मे दिये गये तथ्यो का परीक्षण कर 15 दिवस में जांच प्रतिवेदन शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी।

5/5

(सभाजीत यादव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

पृ0कमांक 663/2017/बयालीस(1) भोपाल,दिनांक 5-5-17

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, मान.राज्यमंत्रीजी, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव,म0प्र0शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
3. उप सचिव,म0प्र0शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
4. संबंधित अधिकारी ।
5. स्टाक फाईल

5/5

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

Scanned by CamScanner

प्रति,

प्रमुख सचिव महोदया,
मध्यप्रदेश शासन,
तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग,
मंत्रालय,भोपाल ।

विषय :– डॉ.एस.के.जैन, कुलसचिव, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल के विरूद्ध शासन में प्राप्त इओडब्ल्यू/लोकायुक्त तथा अन्य शिकायतों की जॉच करने बावत् ।

संदर्भ :– मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र कमांक 662/2017/42–1 दिनांक 05/05/2017

महोदया,

डॉ.एस.के.जैन,कुलसचिव,राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,भोपाल के विरूद्ध शासन में प्राप्त इओडब्ल्यू/लोकायुक्त तथा अन्य शिकायतों की जॉच करने हेतु समिति का गठन किया गया है । समिति की जॉच प्रतिवेदन की प्रति आपकी ओर संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है ।

सादर,धन्यवाद

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।
दिनांक :– 10/07/2017

भवदीय
(वीरेन्द्र कुमार)
संचालक
तकनीकी शिक्षा संचालनालय,मध्यप्रदेश
भोपाल

भवदीय
(डॉ.एस.सी.चौबे)
प्रोफेसर
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
भोपाल

Scanned by CamScanner

मध्य प्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल– 462004

—::::000::::—

::: आदेश :::

भोपाल दिनांक 24-2-18

कमांक एफ–1/16/2017/42– श्री एस.के.जैन, कुलपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल के द्वारा अपनी पदस्थापना के दौरान माइग्रेशन प्रमाण पत्र, प्रिटिंग आदेश मे देरी, निविदा निरस्ती के संबंध में कुलपति के आदेशो की अवहेलना, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को हतोत्साहित कराने, कन्टेनर के कारण छात्रो की मूल उपाधि प्रदान नही करना, राजभवन से सीधे पत्राचार करने एवं विश्वविद्यालय के शिक्षको एवं अधिकारियोंकी विभिन्न नस्तियों एवं प्रकरणो की नस्तियो में अवांछित टीप लिख कर विलम्ब करने की अनुचित कार्यवाही करने के संबंध में विभागीय पत्र दिनांक 23.12.2017 को आरोप पत्रादि जारी किये गये थे। आरोप पत्र के संबंध में श्री जैन का प्रतिवाद उत्तर निर्धारित समय–सीमा में प्राप्त नही होने के फलस्वरूप राज्य शासन एतद् द्वारा म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत श्री एस.के.जैन, कुलसचिव, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल के विरूद्व विभागीय जांच संस्थित कर प्रकरण में जांच हेतु श्री अरूण नाहर, सचिव, रागांप्रोवि, भोपाल को जांच अधिकारी एवं श्री राकेश सिंघई, उपकुलसचिव, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। विभागीय जांचकर्ता अधिकारी अपचारी अधिकारी के विरूद्व लगाये गये आरोपो की विधिवत जांच कर अपना प्रतिवेदन मय अभिमत के शासन को 03 माह में प्रस्तुत करेगें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

24/2

(सभजीत यादव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

पृ०कमांक एफ–1/16/2017/42–1 भोपाल,दिनांक 24-2-18

प्रतिलिपिः–

1. संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनाय, भोपाल की ओर अग्रेषित कर लेख है कि सर्वसंबंधितो को उक्त जारी आदेश की व्यक्तिशः तामिल कराकर अभिस्वीकृति की पावती 10 दिवस मे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
2. श्री अरूण नाहर, सचिव, रागांप्रोवि, भोपाल की ओर अग्रेषित कर लेख है कि प्रकरण में जांच कर जांच प्रतिवेदन 03 माह में शासन को उपलब्ध करावे।
3. श्री राकेश सिंघई, उपकुलसचिव, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर अग्रेषित कर लेख है कि प्रकरण से संबंधित समस्त अभिलेख आदि संकलित कर जांचकर्ता अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
4. श्री एस.के. जैन, कुल सचिव, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल।
5. स्टाकपंजी

24/2

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

Scanned by CamScanner